सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना—पत्र संख्याः— 2025 / 87 दर्ज तिथिः—28.02.2025

1. अर्जुनराम पुत्र दूदाराम
   जाति सुथार निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

पाटी संख्या 01

2. जसाराम पुत्र रायचन्दराम
3. बाबूलाल पुत्र रायचन्दराम
4. भंवरलाल पुत्र रायचन्दराम
5. राणाराम पुत्र रायचन्दराम
6. शंकरराम पुत्र रायचन्दराम
7. सवाईराम पुत्र रायचन्दराम
   जाति सुथार निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

पार्टी संख्या 02

8. मांगीलाल पुत्र रतनाराम
9. रूखमोदेवी पत्नी रतनाराम
10. हनूमानराम पुत्र रतनाराम
    जाति सुथार निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाडमेर

पार्टी संख्या 03

11. जूंजाराम पुत्र सवाईराम
12. राणाराम पुत्र किशनाराम
13. हरीकिशन पुत्र सवाईराम
14. हीराराम पुत्र किशनाराम
    जाति सुथार निवासी पूंजाबेरी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

पार्टी संख्या 04

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी जिला बाडमेर
2. शाखा प्रबंधक पंजाब नेशनल बैंक शाखा गुड़ामालानी
3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा धोरीमन्ना

..............अप्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

अर्जुनराम बनाम तहसीलदार गुड़ामालानी
2025 / 87
निर्णय दिनांकः—18.07.2025

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः—श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः— एकतरफा

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—131,136
राजस्थान भू—राजस्व अधि.—1956

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—18.07.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 192 / 16 / 1.9587 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 01 की खातेदारी आराजी है।
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 16 / 9.3239 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 02 की खातेदारी आराजी है।
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 193 / 16 / 9.2997 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 03 की खातेदारी आराजी है।
   - खातेदारी आराजी खसरा संख्या 194 / 16 / 9.3239 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी पार्टी संख्या 04 की खातेदारी आराजी है।
   - पार्टी संख्या 01 ता 04 की उक्त खातेदारी आराजी खसरा संख्या 192 / 16, 16, 193 / 16, 194 / 16 मूल खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में संधारित हैं।
   - प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी पर मौके पर काबिज काश्त हैं तथा मौके पर रहवासी ढाणियां, चारवाडे व टांके बने हुए हैं। उक्त सभी खसरा मूल खसरा संख्या 16 से बने हुए हैं परन्तु वर्तमान तरमीम व मौके पर भिन्नता है।

2. असल में प्रार्थी व अप्रार्थीगण की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के अनुसार होनी अपेक्षित है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में पार्टी संख्या 01 ता 04 के खसरा संख्या 192 / 16, 16, 193 / 16, 194 / 16 की ऑनलाइन तरमीम मौके पर कब्जे के अनुसार परिशिष्ट—बी के अनुसार दुरूस्त की जावे। अतः पार्टी संख्या 01 ता 04 की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी से मौका रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की आराजी की तरमीम परिशिष्ट—बी के आधार दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

5. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम को दुरूस्त करवाने हेतु परिशिष्ट–बी प्रस्तुत किया है। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

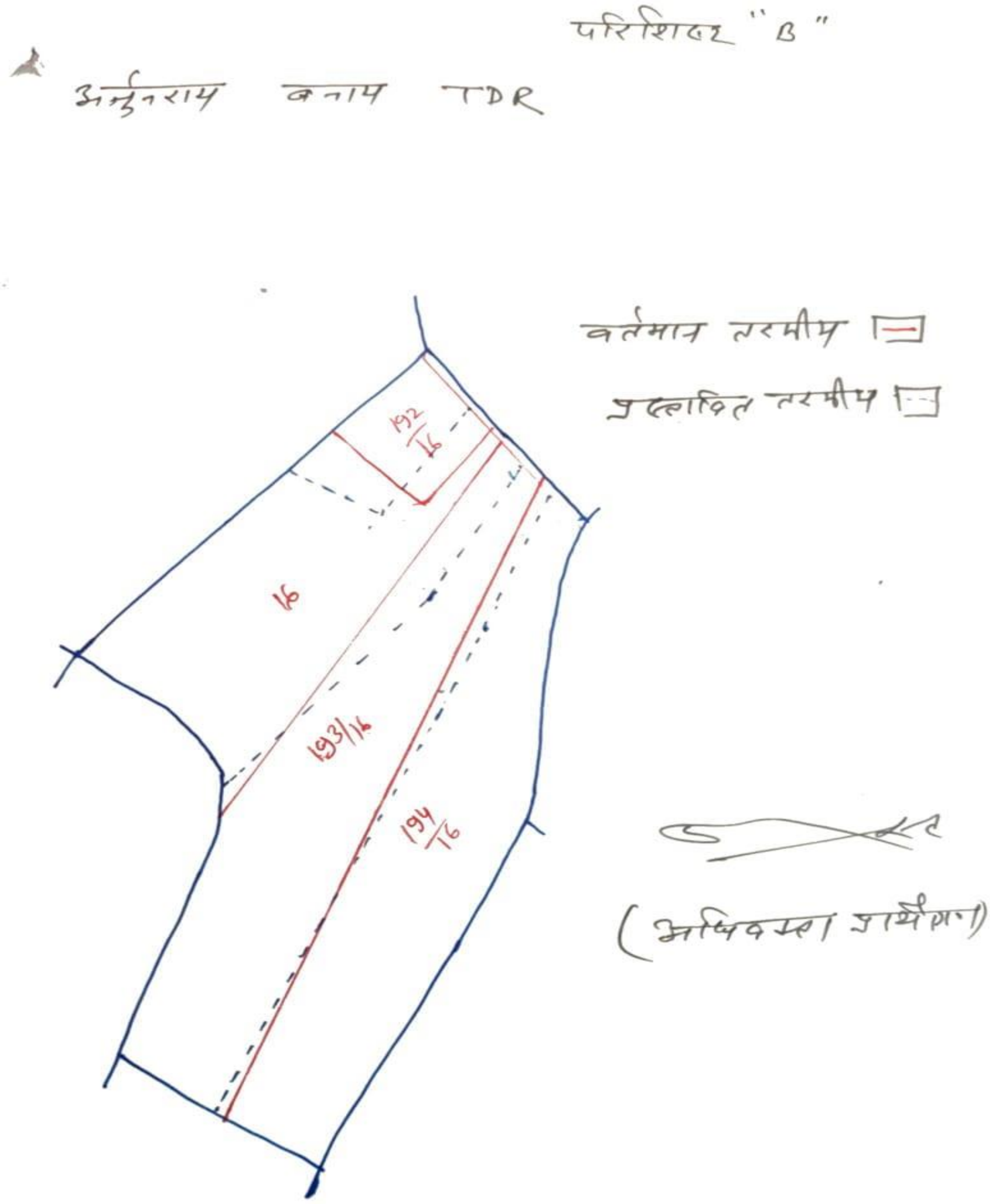

6. हाल राजस्व रिकॉर्ड व प्रार्थी द्वारा प्रस्तावित तरमीम के परिशिष्ट–बी के परीक्षण के पश्चात तहसीलदार गुडामालानी पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया है। उक्त तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिसका तुलनात्मक विवरण निम्न प्रकार हैः–

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

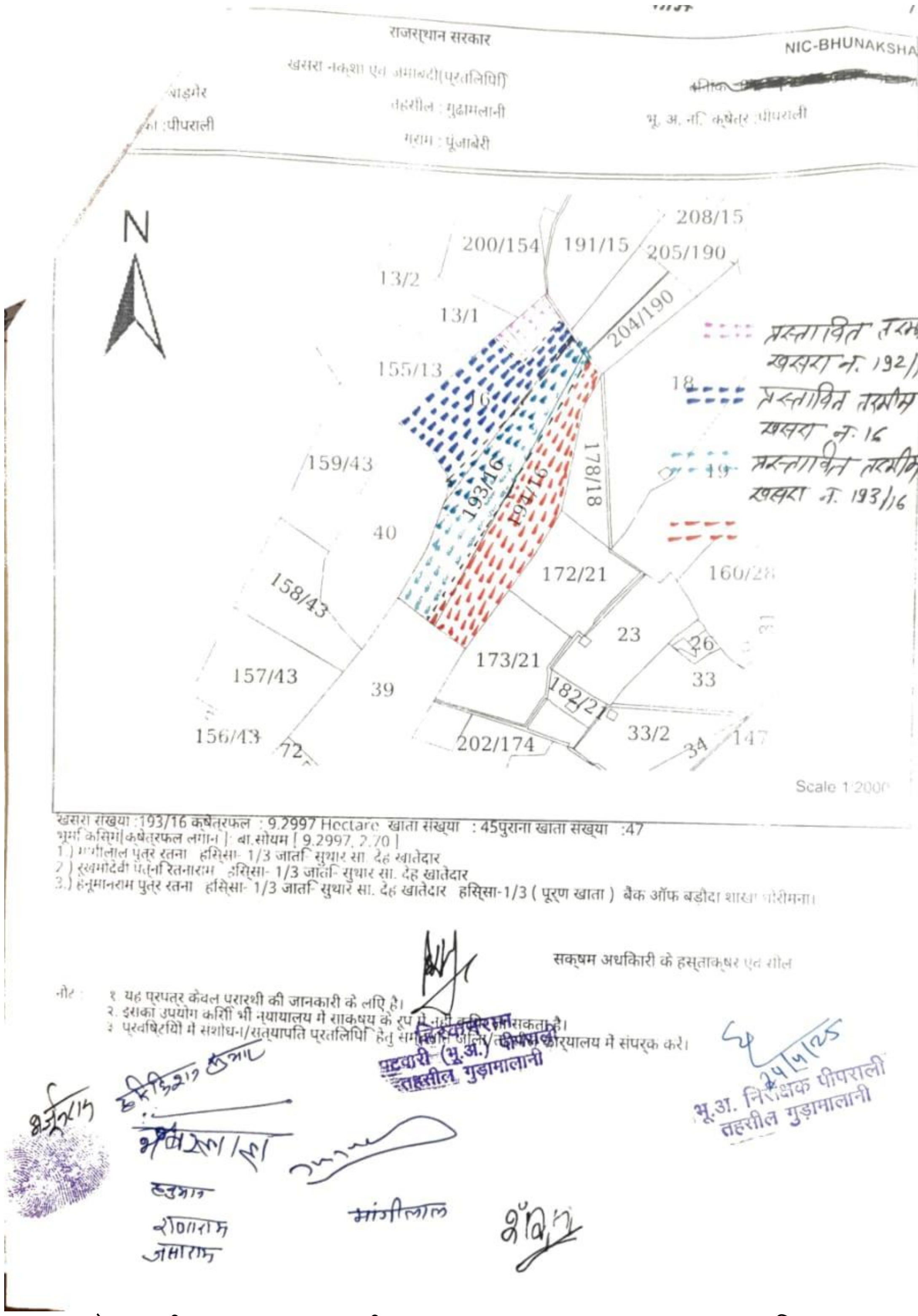

7. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक / भू.अ. / 2025 / 730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के प्रासांगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः—

   1. कि ग्राम पूंजाबेरी के मूल खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 192 / 16 रकबा 1.9587 है0, खसरा संख्या 16 रकबा 9.3239 है0, खसरा संख्या 193 / 16 रकबा 9.2997 है0, खसरा संख्या 194 / 16 रकबा 9.3239 है0 की तरमीम विभाजन अनुसार सही अंकित की गई है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested

2. कि उक्त आराजी के मूल खसरा संख्या 16 के विभाजन अनुसार से बने खसरा संख्या 192/16, 16, 193/16, 194/16 की तरमीम प्रार्थीगण के वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार अंकित नहीं है।
3. आराजी के मूल खसरा संख्या 16 के विभाजन से बने खसरा संख्या 192/16, 16, 193/16, 194/16 की तरमीम प्रार्थीगण के वास्तविक कब्जा काश्त अनुसार संलग्न नक्शा में दर्शाये अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है।
4. आराजी खसरा संख्या 16 से विभक्त होकर बने खसरा संख्या 192/16, 16, 193/16, 194/16 की तरमीम भू–नक्शा में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार नहीं होने से मौके पर बनी ढाणियां, टांका, पशु–बाड़ा, व कब्जा अनुसार दर्शाये नक्शे अनुसार वर्तमान भू–नक्शा में तरमीम सही किया जाना उचित है।

8. प्रकरण में तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा हाल राजस्व नक्शा के तुलनात्मक अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा द्वारा प्रस्तावित तरमीम से सभी प्रार्थी सहमत हैं। इस प्रकार मुताबिक तहसीलदार गुडामालानी द्वारा पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा तरमीम दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुडामालानी को निर्देश दिये जाते हैं कि पत्रांक/भू.अ./2025/730 दिनांक 09.05.2025 के द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 18.07.2025 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.08.08 09:29:39 IST
Reason: SelfAttested